न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 138 / 2022 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
धर्माराम पुत्र पूनमाराम जाति जाट, निवासी लीलसर दखणाद तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर		1. गुमनाराम पुत्र रूपाराम 2. घमण्डाराम पुत्र खेमाराम 3. जेठाराम पुत्र मार्सीगाराम 4. टीकूराम पुत्र खेमाराम 5. तेजाराम पुत्र पूनमाराम 6. नानगाराम पुत्र मार्सीगाराम 7. मोनी पत्नी मार्सीगाराम 8. वीरोदेवी पत्नी पूनमाराम 9. हेमाराम पुत्र मार्सीगाराम 10. हरचंदराम पुत्र मार्सीगाराम जाति जाट, निवासी लीलसर दखणाद तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 11. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री वृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 10 – श्री हरीराम चौधरी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 11.06.2025

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा नागाणा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 405 / 329 रकबा 12.1406 हैक्टेयर आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। वादी के पिता के फौत होने के 05 माह बाद वादी का जन्म हुआ था। वादी के पिता का फौतगी म्यूटेशन उसके चाचा द्वारा भरवाते समय वादी का नाम रावताराम पुत्र पूनमाराम लिखवा दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम धर्माराम पुत्र पूनमाराम है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है। वर्तमान में वादी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र, जोब कार्ड आदि में उनका सही एवं वास्तविक नाम धर्माराम पुत्र पूनमाराम दर्ज है। वादी के अन्य खातेदारी खेत मौजा लीलसर दखणाद, तहसील चौहटन की जमाबंदी में शुद्ध नाम धर्माराम पुत्र पूनमाराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता / ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रावताराम पुत्र पूनमाराम के स्थान पर सही नाम धर्माराम पुत्र पूनमाराम नाम दर्ज करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:51:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 द्वारा जरिये अधिवक्ता ईकबाली जवाब प्रस्तुत करते हुए वादी का नाम रावताराम पुत्र पूनमाराम के स्थान पर सही नाम धर्माराम पुत्र पूनमाराम घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किये गये। वादी द्वारा अपने वास्तविक नाम धर्माराम पुत्र पूनमाराम होने के समर्थन में दस्तावेज यथा आधारकार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, जॉब कार्ड आदि दस्तावेज पेश किये गये।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम रावताराम पुत्र पूनमाराम के स्थान पर सही नाम धर्माराम पुत्र पूनमाराम होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार नाम दुरस्ती हेतु सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रावताराम पुत्र पूनमाराम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि में वादी का नाम धर्माराम पुत्र पूनमाराम दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी के नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र से भी वादी का नाम रावताराम पुत्र पूनमाराम के स्थान पर धर्माराम पुत्र पूनमाराम किये जाने का निवेदन किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रावताराम पुत्र पूनमाराम के स्थान पर धर्माराम पुत्र पूनमाराम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा नागाणा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 405/329 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम रावताराम पुत्र पूनमाराम के स्थान पर धर्माराम पुत्र पूनमाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:51:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner